MR. CHAIRMAN: Venkaiah*ji*, those decisions are not taken in the Chair here. ..*(Interruptions)*.. That is a separate subject. ..*(Interruptions)*.. I can't get into a discussion here. ..*(Interruptions)*..

DR. V. MAITREYAN: If it is allowed in the Zero Hour ..*(Interruptions)*..

श्री रुद्रनारायण पाणि : चिदम्बरम साहब के इस्तीफे के अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। ...**(व्यवधान)**... That is our only demand. ...*(Interruptions)*... Our only demand is resignation of Mr. Chidambaram. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Q. No. 381. ...*(Interruptions)*...

Please allow your colleague to put the supplementary. ..*(Interruptions)*... Please allow her to put the supplementary. ..*(Interruptions)*.... Supplementary please. ..*(Interruptions)*... Supplementary please. Dr Maitreyan, please resume your place. ..*(Interruptions)*... Please put the supplementary question. ...*(Interruptions)*... Please put the supplementary question.

DR V. MAITREYAN: If you did not allow the issue during Zero Hour, when can we raise? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You cannot demand that answer here. ...*(Interruptions)*... Please do not disrupt the House. ...*(Interruptions)*... Do you wish to put supplementary questions?

————————

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता में वृद्धि

*381. सुश्री **अनुसुइया उइके** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करें किः

(क) क्या यह सच है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुख्या की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को सरकार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत इसके आरम्भ होने के बाद से ही राज्य सरकारों के माध्यम से केवल दस हजार रुपये ही देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह मानती है कि इस अत्यधिक महंगाई के दौर में मृतक के परिवार को मात्र दस हजार रुपये की सहायता दिया जाना पर्याप्त है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस सहायता राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सहायता राशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी?;

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के एक घटक के रूप में शुरू की गई थी। 1995 में इस योजना के प्रारंभ के समय,

स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5000 रु. तथा दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10,000 रु. की राशि निर्धारित की गई थी। वर्ष 1998 में, स्वाभाविक मृत्यु के मामले में भी अनुदान राशि को बढ़ाकर 10,000 रु. कर दिया गया था। फिलहाल, एनएफबीएस के अंतर्गत 18-64 आयु वर्ग में "मुख्य जीविकोपार्जक" की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले शोक-संतप्त परिवार को 10,000 रु. का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में विनिर्दिष्ट मुख्य जीविकोपार्जक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, परिवार का वह सदस्य होगा जिसकी कमाई उस परिवार की कुल आय में सबसे अधिक हो। एनएफबीएस के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य शोक-संतप्त परिवार को राहत प्रदान करना है।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न हिस्सों में सहायता की राशि को बढ़ाने के आवेदन मिले हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत सहायता की राशि समय-समय पर संशोधित की जाती है।

Increase in monetary assistance under the National Family Benefit Scheme

†*381. MISS ANUSUIYA UIKEY: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the death of the head of a family living below poverty line, Government grants only ten thousand rupees to his spouse through State Governments, under the National Family Benefit Scheme, since its inception;

(b) if so, whether Government considers that the assistance of merely ten thousand rupees to the family of the deceased is sufficient in these time of high prices;

(c) whether the State Governments have requested for an increase in this amount of assistance; and

(d) if so, whether Government will consider to increase the amount of assistance?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) National Family Benefit Scheme (NFBS) was introduced in the year 1995 as a component of National Social Assistance Programme (NSAP). At the time of inception of the scheme in 1995, the amount fixed was ` 5000/- in case of natural death and ` 10000/- in case of accidental death. In 1998, the grant in case of natural death was also enhanced to ` 10000. At present, under NFBS grant of ` 10,000 in case of death of the "primary breadwinner" in the age group of 18-64 years is provided to the bereaved household living below poverty line as per the criteria prescribed by the Government. The primary breadwinner specified in the scheme,

†Original notice of the question was received in Hindi.

whether male or female, has to be a member of the household whose earning contributed substantially to the total household income. The objective of assistance under NFBS is to provide relief to the bereaved family.

(c) and (d) The request for increasing the amount of assistance has been received from various quarters. The amount of assistance under the schemes of NSAP are revised from time to time depending on the availability of resources.

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय मैंने मंत्री जी से एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 1998 में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लोगों को 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए क्या 10 हजार रुपए पर्याप्त हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए क्या वह इस राशि को आगे और बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री जयराम रमेश : सर, यह एक सुझाव है, हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय मंत्री जी, हम इस पर जरूर विचार करेंगे, यह मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। मैंने आप से एक क्वेश्चन किया था, आपने उसके जवाब में कहा है कि हम इसकी वृद्धि करने पर विचार करेंगे और प्रश्न का पूरा जवाब भी नहीं दिया। आप स्वयं जानते हैं कि वर्तमान समय में कितनी महंगाई है।

मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जब गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और उस समय उनको सहायता लेने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि इसमें काफी जटिल औपचारिकताएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि वे इन जटिल औपचारिकताओं को सरल करते हुए, भुगतान की व्यवस्था सीधे उनके खाते में करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि वे गरीब लोग बिचौलियां तथा पंचायत व जनपद कार्यालय की जटिल औपचारिक प्रकियाओं से बच सकें?

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, हमने इस सुझाव पर काफी कार्यवाही की है और हमारा यह प्रयास रहा है कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है तथा जिसके पांच घटक हैं, ओल्ड एज पैंशन, विधवाओं के लिए पेंशन, विकलांगों के लिए पैंशन तथा इसमें यह परिवार लाभ योजना भी शामिल है, हम इन्हें जो सहायता देते हैं, वह सीधे उनके खाते में जाए, तो इसके लिए कम्प्यूटराइजेशन की जरूरत है। मैं माननीय सदस्या को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम सिर्फ पैसा देते हैं, परन्तु यह जो कार्यवाही की जानी चाहिए, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम राज्य सरकारों के साथ काम करके यह प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द यह सहायता राशि उनके खाते में जाए।

श्री ईश्वर सिंह : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने पर या पति या पत्नी का सरकार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत दस हजार रुपए देती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसी परिवार में पति और पत्नी में से दोनों ही नहीं रहते, जैसे कि पिछले दिनों हरिद्वार में एक घटना घटी थी, ऐसे अनेकों केस हैं, जिनमें माता-पिता दोनों ही नहीं रहे, ऐसे में उनके बच्चों को सहायता राशि न देकर जीवन आश्रित राशि दी जानी चाहिए, ताकि उनकी एजुकेशन फ्री हो, क्या आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं?

श्री जयराम रमेश : सर, जहां पर परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, वहां केन्द्र सरकार हर एक परिवार को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत दस हजार रुपए देती है। इसके अलावा और कई बीमा योजनाएं हैं, जैसे आम आदमी बीमा योजना है, जनश्री बीमा योजना है, गरीब परिवारों के लिए अलग से बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में एक मात्र कार्यक्रम सिर्फ National Family Benefit Scheme ही है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि जब हम 10 हजार रुपए देते हैं, तो राज्य सरकारों की भी इसमें एक contribution, एक भागीदारी होगी। हालांकि अफसोस की बात है कि इस परियोजना में राज्य सरकारें आगे नहीं आई हैं, परंतु अलग-अलग जो योजनाएं हैं, जैसे old age pension है, विधवा पेंशन्स स्कीम है, विकलांगों के लिए जो पेंशन्स स्कीम है, उनमें राज्य सरकारों की भी भागीदारी होती है।

सुश्री अनुसुइया उइके : सर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपका सवाल नहीं है। श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल।

सुश्री अनुसुइया उइके : सर, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने ...(**व्यवधान**)... दो हजार रुपए तत्काल देने की व्यवस्था की है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपका सवाल हो चुका है, इसलिए कृपया आप बैठ जाइए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो योजना है, इसका मानक क्या है? क्या यह सही है कि तमाम जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार मानक बहुत जटिल होने के कारण इसके अंतगत चयनित नहीं हो पाते हैं और उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है? चूंकि आज एपीएल के भी बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री जी को उन मानकों को शिथिल करते हुए बीपीएल और एपीएल, दोनों श्रेणी के लोगों को इस योजना के तहत जोड़ना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 10 हजार की धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे, तो उस विचार पर कब तक अंतिम निर्णय होगा? राज्य सरकारों के जो प्रतिदिन आए हैं या राज्य सरकारों ने जो recommendations भेजे हैं, वे क्या हैं और उन पर कब तक कार्रवाई होगी?

श्री जयराम रमेश : सर, मैं मानक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो पांच घटक हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, उन पांच घटकों में सिर्फ बीपीएल परिवार शामिल हैं और उनका चयन राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के द्वारा होता है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी ज्यादा भूमिका नहीं है। इसमें वित्त मंत्रालय से राज्य सरकार के वित्त मंत्रालयों को सीधे पैसा भेजा जाता है। हम इस साल करीब 8400 करोड़ रुपए इन पांच घटकों के लिए खर्च करेंगे। इनमें वृद्धों के लिए पेंशन, विकलांगों के लिए पेंशन, विधवाओं के लिए पेंशन, Family Benefit Scheme और अन्नपूर्णा स्कीम, जो कि बुजुर्गों के लिए food security का कार्यक्रम है, शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसका selection करते हैं, बल्कि जो selection होता है, परिवारों का जो identification होता है, वह जिला प्रशासन और राज्य सरकारों के द्वारा होकर आता है और वह जानकारी हमें मिलती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, मैंने मानक के बारे में पूछा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए, आप पहले जवाब सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : नहीं, सर, आपका संरक्षण हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : कृपया आप पहले जवाब सुन लीजिए। जब उन्होंने अपना जवाब पूरा नहीं किया है, तब आप बीच में कैसे बोल सकते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : नहीं, सर। वे जवाब ही घुमा कर दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : कृपया पहले आप जवाब तो सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : सर, इसका मानक सिर्फ यह है कि यह बीपीएल परिवारों तक सीमित है और हमें जो सूची राज्य सरकारों से मिलती है, वह हम वित्त मंत्रालय को देते हैं और वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों के वित्त मंत्रालयों को सीधे पैसा release करता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, माननीय मंत्री जी शायद जवाब गलत दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, देखिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : इनको यह मालूम है कि जो लिस्ट भेजी जाती है, उसको ये approve नहीं करते हैं। अगर 01 लाख 30 हजार की लिस्ट भेजी गई, तो उसमें से सिर्फ 90 हजार approve किए गए हैं, तब फिर मंत्री महोदय यह क्यों कह रहे हैं कि जो लिस्ट भेजी जाती है, उसे ये पूरा approve कर देते हैं? आज राज्य सरकार पर ये जो आरोप लगाते हैं, ये पहले अपने केन्द्र सरकार को देख लें। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सतीश जी, कृपया आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, हर राज्य के साथ ऐसा ही होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : सर, यह हमारे पास ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से करीब 40 लाख रुपये दे रही है, क्योंकि जितने बीपीएल परिवार हैं, उन सभी को ये पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि यहां कहा जाता है कि इसको राज्य सरकार भेजती है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister clarify.

श्री जयराम रमेश : सर, मैं यह जानता हूँ कि हमारे कुछ सदस्य उत्तर प्रदेश के मामले में बड़े उत्तेजित हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों से वह जानकारी आती है और धनराशि को मद्देनजर रखते हुए हर एक राज्य का allocation होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो कोई मांगें आती हैं, उनको हम शत-प्रतिशत पूरा कर सकते हैं। हम यह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की कमी है। हमें जो allocation होता है, उसके मुताबिक हम राज्य सरकारों को allocate करते हैं, परंतु इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बीपीएल की जितनी सूची आती है, उसी के आधार पर हम पैसा release करते हैं। यह बात सही है और मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ कि जो पूरी सूची आती है, जो मांग आती है, उसको पूरी करने की स्थिति में हम नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Venkaiah Naidu, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, when the Scheme was introduced, it was five thousand rupees. In 1998, it has been revised to ten thousand rupees. Today, we are in 2011. From 1998 to 2011, the cost of living has gone up considerably. Keeping in view the reply

given by the hon. Minister that various quarters have been requesting for enhancement of this amount, will the Minister give us an assurance that it will be enhanced to twenty thousand rupees keeping in view the cost of living?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am not in a position to give an assurance to the hon. Member. All I want to bring to the hon. Member's notice is that in addition to the National Family Benefit Scheme, we have Insurance Schemes based on the premium that is paid by the Central Government and the State Government. For example, under the *Aam Aadmi Bima Yojana*, there is a premium of two hundred rupees; that is shared between the Centre and the States and that provides an insurance cover, for the affected family, ranging from thirty-five thousand rupees to seventy thousand rupees. So, it is not as if the National Family Benefit Scheme is the only scheme to help families in distress. We also have Insurance Schemes. But the hon. Finance Minister is here; I am sure that he has also heard what you said. And all I can tell you is that we will certainly consider this suggestion very seriously.

MR. CHAIRMAN: Question No. 382. The Hon'ble Member absent.

*382. [The Questioner (Shri Satyavrat Chaturvedi) was absent.]

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) फिलिंग स्टेशन

*382. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के 65 फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाने थे और उनमें से 42 स्टेशनों को राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से पहले आरंभ किया जाना था;

(ख) पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर द्वारा कितने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) फिलिंग स्टेशनों के लिए अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने संपीड़ित प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन काम कर रहे हैं?

पेट्रोलियम **और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी)**: (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जुलाई, 2008 में यह घोषित किया गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 (सीडब्ल्यूजी 2010) से पहले इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 50 अतिरिक्त सीएनजी स्टेशन स्थापित करेगी।

जुलाई, 2008 से अक्तूबर, 2010 तक की अवधि, अर्थात् राष्ट्रमंडल खेल से पहले के दौरान आईजीएल ने दिल्ली और एनसीआर में 88 अतिरिक्त सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की। इन 88 सीएनजी स्टेशनों में से 40